मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, वल्लभ भवन, मंत्रालय, मध्यप्रदेश

क्रमांक–645/1720/2018/17/मेडि–2, भोपाल, दिनांक 24/05/2018

परिपत्र–1

प्रति,

1. समस्त जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
2. समस्त अधिष्ठाता, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।
3. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्यप्रदेश।
4. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, मध्यप्रदेश।
5. समस्त संस्था प्रभारी, सिविल अस्पताल, मध्यप्रदेश।
6. समस्त जिला मातृ व बाल स्वास्थ्य अधिकारी (जिला टीकाकरण अधिकारी), म.प्र.।
7. समस्त विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी, मध्यप्रदेश।

विषयः– मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा (प्रसूति सहायता) योजना 2018 के संबंध में दिशा–निर्देश।

संदर्भः– लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का पत्र क्र.–645/1720/18/17–2 भोपाल दिनांक 04.05.2018।

==0==

शासन के उक्त संदर्भित पत्र द्वारा मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा (प्रसूति सहायता) योजना, 2018 के संबंध में दिशार्निदेश जारी किये गये हैं, उन निर्देशो को अपास्त करते हुये मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा (प्रसूति सहायता) योजना, 2018 के संबंध में नवीन निर्देश इस परिपत्र द्वारा जारी किये जा रहे है।

मध्यप्रदेश असंगठित शहरी/ग्रामीण कर्मकार कल्याण मण्डल तथा म.प्र. भवन निर्माण एवं संनिर्माण कर्मकार मण्डल के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक कर्मकार महिलाओं/परिवारों के लिये प्रचलित प्रसूति अवकाश सहायता योजना को अब मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा (प्रसूति सहायता) योजना 2018 के अंतर्गत समावेशित किया जाता हैं।

01. योजना का नाम

इस योजना का नाम मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा (प्रसूति सहायता) योजना 2018 होगा।

02. प्रभावशीलता

यह योजना सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में दिनांक 01/04/2018 से प्रभावशील होगी।

03. मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा (प्रसूति सहायता) योजना का उद्देश्य

योजना का उद्देश्य उच्च जोखिम गर्भावस्था की शीघ्र पहचान, सुरक्षित प्रसव एवं शिशु के जन्म उपरान्त शीघ्र स्तनपान व टीकाकरण को समुचित बढ़ावा देना, महिलाओं व शिशुओं के स्वास्थ्यवर्धक व्यवहारों के प्रोत्साहन हेतु नकद प्रोत्साहन राशि के प्रावधान से अनुकूल वातावरण का निर्माण करना है।

04. योजना अंतर्गत समावेशित श्रमिक संवर्ग

4.1 मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना के हितग्राही।
4.2 मध्यप्रदेश घरेलु कामकाजी महिला कल्याण योजना के हितग्राही।
4.3 मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री हाथ ठेला एवं साईकिल रिक्शा चालक योजना के हितग्राही।
4.4 शहरी गरीबों के लिये कल्याण योजना के हितग्राही।
4.5 केश शिल्पी कल्याण योजना के हितग्राही।
4.6 मध्यप्रदेश हम्माल एवं तुलावटी कल्याण योजना के हितग्राही।
4.7 मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के हितग्राही।
4.8 मध्यप्रदेश असंगठित शहरी/ग्रामीण कर्मकार कल्याण मण्डल के हितग्राही।

05. मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा (प्रसूति सहायता) योजना के लिये पात्रता

5.1 18 वर्ष से अधिक उम्र की गर्भवती महिला एवं प्रसूतायें।
5.2 कण्डिका –4 में वर्णित संवर्गो में पंजीकृत श्रमिक महिला अथवा पंजीकृत श्रमिक पुरूष की पत्नी।
5.3 प्रसूति सहायता शासकीय चिकित्सालय में प्रसव होने की स्थिति में ही देय होगी।
5.4 प्रसूति सहायता का लाभ प्रथम 2 जीवित जन्म वाले प्रसव हेतु ही मान्य किया जायेगा।

06. मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा (प्रसूति सहायता) योजना के अन्तर्गत पात्रता की शर्ते एवं प्राप्त होने वाला लाभ

क्र	किश्त	शर्त	राशि (रु.)
1.	प्रथम किश्त	• गर्भावस्था के दौरान निर्धारित अवधि में अन्तिम तिमाही तक चिकित्सक/ए.एन.एम. द्वारा 4 प्रसव पूर्व जॉच कराने पर	4000/–
2.	द्वितीय किश्त	• शासकीय चिकित्सालय में प्रसव होने पर तथा • नवजात शिशु का संस्थागत जन्म उपरान्त पंजीयन कराने तथा • शिशु को शीघ्र स्तनपान कराने पर व • शिशु को 0 डोज BCG, OPV व HepB टीकाकरण कराने पर	12000/–
कुल राशि			**16000/–**

नोट :–

6.1 मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा (प्रसूति सहायता) योजना, 2018 में जननी सुरक्षा योजना के तहत संस्थागत प्रसूति (Institutional Delivery) की राशि एवं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत (प्रथम संतान पर प्रसूति पूर्व) देय राशि सम्मिलित कर राशि रूपये 4000/– प्रसूति पूर्व एवं राशि रूपये 12000/– प्रसूति पश्चात् देय होगी।

6.2 प्रथम गर्भ धारण करने पर पात्र हितग्राही को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत प्रथम एवं द्वितीय किश्त क्रमशः राशि रूपये 1000/– एवं रूपये 2000/– (कुल रूपये 3000/–) का भुगतान महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया जावेगा

तथा शेष राशि रूपये 1000/– का भुगतान मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा (प्रसूति सहायता) योजना 2018 के अंतर्गत पात्र हितग्राही को लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा किया जावेगा।

6.3 मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा (प्रसूति सहायता) योजना, 2018 के तहत प्रावधानित प्रसव पश्चात द्वितीय किश्त की राशि रूपये 12,000/– में से जननी सुरक्षा योजना की राशि घटाकर, शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के पात्र हितग्राहियों को क्रमशः शेष राशि रूपये 11,000/– एवं राशि रूपये 10,600/– का भुगतान लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा किया जावेगा।

6.4 प्रदेश में संचालित भारत सरकार की जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को उक्त योजना में निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप लाभ (शहरी क्षेत्र हेतु रूपये 1000/– एवं ग्रामीण क्षेत्र हेतु रूपये 1400/–) अनुरूप लाभ पूर्ववत देय होगी।

6.5 प्रथम प्रसव पर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत तृतीय किश्त राशि रूपये 2000/– हेतु पात्र महिला हितग्राही को उक्त योजना में निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप अनुदान राशि का भुगतान महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया जायेगा जो मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा (प्रसूति सहायता) योजना 2018 के द्वितीय एवं अंतिम किश्त के अतिरिक्त होगा।

6.6 दिनांक 1 अप्रैल 2018 से दिनांक 24 मई 2018 के मध्य यदि किसी पात्र हितग्राही द्वारा पूर्व में प्रचलित प्रसूति अवकाश सहायता योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त किया जा चुका हो तो इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी एवं पदाभिहित अधिकारी द्वारा भुगतान पूर्व इस बात की पुष्टि सुनिश्चित की जायेगी।

07. आवश्यक दस्तावेज व परीक्षण प्रक्रिया :–

आवश्यक दस्तावेज	परीक्षण प्रक्रिया
1. महिला अथवा पति का संबंधित श्रमिक संवर्ग का पंजीयन कार्ड 2. शासकीय संस्थागत प्रसव का प्रमाण पत्र (डिस्चार्ज टिकिट) 3. अधिकतम 2 जीवित जन्म वाले प्रसव का प्रमाण पत्र 4. समग्र आई.डी. 5. मातृ एवं शिशु सुरक्षा कार्ड (MCP Card) की छायाप्रति 6. आधार कार्ड की छायाप्रति 7. आधार संबद्ध बैंक खाते की पासबुक की छायाप्रति	1. आवेदक द्वारा प्रस्तुत मूल दस्तावेज के आधार पर 2. ए.एन.एम./चिकित्सक द्वारा प्रमाणित MCP Card के आधार पर 3. आर.सी.एच. पोर्टल तथा समग्र पोर्टल से

08. भुगतान प्रक्रिया :–

मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा (प्रसूति सहायता) योजना 2018 के अंतर्गत ऑनलाईन भुगतान की प्रक्रिया निर्धारण करने की कार्यवाही प्रचलन में है जिसके बारे में विस्तृत निर्देश पृथक से जारी किये जायेंगे। चूंकि, सेवा प्रदायगी एवं भुगतान की कार्यवाही दोनों लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा किया जाना है, अतः आवेदक को पृथक से आवेदन प्रस्तुत

करने की अवश्यकता नहीं होगी। भुगतान हेतु हितग्राही को केवल ए.एन.एम./चिकित्सक द्वारा भरा हुआ एवं सत्यापित मातृ एवं शिशु सुरक्षा कार्ड (MCP Card) की प्रति एवं कण्डिका 7 में वर्णित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

09. मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा (प्रसूति सहायता) योजना हेतु पदाभिहित अधिकारी :–

शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओ के लिये निम्नानुसार पदाभिहित अधिकारी निर्धारित किये जाते है :–

शासकीय स्वास्थ्य संस्था	पदाभिहित अधिकारी
1. एल–1 उप स्वास्थ्य केन्द्र	विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी
2. एल–1 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	
3. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	
4. सिविल अस्पताल	संस्था प्रभारी, सिविल अस्पताल
5. जिला अस्पताल/शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक
6. शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय	अधीक्षक, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय

उपरोक्तानुसार उल्लेखित स्वास्थ्य संस्थाओं में कण्डिका 7 में वर्णित आवश्यक दस्तावेजों को प्रत्येक हितग्राही के लिए पृथक–पृथक नस्ती में संधारित किया जायेगा। पदाभिहित अधिकारी द्वारा पात्र हितग्राही को राशि भुगतान करने से पूर्व समस्त आवश्यक दस्तावेजों एवं परीक्षण प्रक्रिया की पुष्टि की जावेगी।

10. विशेष उपबंध

मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा (प्रसूति सहायता) योजना 2018 को दिनांक 01/04/2018 से लागू किया गया है, अतएव माह सितम्बर 2017 में गर्भधारण करने वाली पंजीकृत श्रमिक महिलाएँ अथवा पंजीकृत श्रमिक पुरूष की पत्नी, उक्त योजना के तहत प्रथम किश्त की प्राप्ति हेतु पात्र होंगी, यदि ऐसी महिलाओं के द्वारा गर्भावस्था के तृतीय त्रैमास में चौथी प्रसव पूर्व जॉच दिनांक 01/04/2018 को अथवा उसके बाद सुनिश्चित की गई हो। ऐसी हितग्राही द्वारा कण्डिका 7 में वर्णित दस्तावेज प्रस्तुत कर इस योजना के अन्तर्गत प्रावधानित किश्तों का लाभ प्राप्त कर सकेगी।

उदाहरणार्थ –

1. यदि द्वितीय गर्भधारण करने वाली किसी ग्रामीण श्रमिक महिला की अंतिम माहवारी की तिथि 01 जुलाई 2017 है एवं उसके द्वारा ए.एन.एम./चिकित्सक से चौथी प्रसव पूर्व जॉच दिनांक 01.04.2018 को अथवा उसके बाद सुनिश्चित की गई है जिसकी पुष्टि उसके एम.सी.पी. कार्ड में दर्ज जानकारी से हो रही है तो, उक्त महिला को मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा (प्रसूति सहायता) योजना, 2018 के अंतर्गत प्रावधानित प्रथम किश्त की राशि रूपये 4000/– की पात्रता है। शासकीय स्वास्थ्य संस्था में प्रसव पश्चात (प्रसव की संभावित तिथि– दिनांक 08 अप्रैल 2018) उक्त महिला को इस योजना के अंतर्गत राशि रूपये 10,600/– देय होगा। जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्रावधानित मापदण्डों के अनुरूप इस महिला को पृथक से राशि रूपये 1400/– का भुगतान संस्थागत प्रसव करवाने के लिये किया जावेगा।

2. यदि प्रथम बार गर्भधारण करने वाली किसी शहरी महिला की अंतिम माहवारी की तिथि दिनांक 01 अगस्त 2017 की है एवं उसका शासकीय स्वास्थ्य संस्था में समय पूर्व प्रसव, दिनांक 01.04.2018 को हुआ हो एवं महिला द्वारा संस्थागत प्रसव के पूर्व केवल 3 जॉच सुनिश्चित की गई हो एवं इसकी पुष्टि उसके एम.सी.पी. कार्ड में दर्ज जानकारी से हो रही है तो, संस्थागत प्रसव होने से पूर्व की गई संस्थागत जॉच को प्रसव पूर्व चौथी जॉच मानते हुये उक्त महिला को मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा (प्रसूति सहायता) योजना, 2018 के अंतर्गत प्रावधानित प्रथम किश्त की राशि रूपये 4000/– में से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के निर्धारित प्रथम एवं द्वितीय किश्त की राशि घटाकर, शेष राशि रूपये 1000/– का भुगतान लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा किया जायेगा। मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा (प्रसूति सहायता) योजना. 2018 अंतर्गत द्वितीय किश्त का भुगतान जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत निर्धारित मापदण्डों को घटाकर राशि रूपये 11,000/– का भुगतान विभाग द्वारा किया जायेगा।

(कवीन्द्र कियावत)
सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ. क्रमांक–645/1720/2018/17/मेडि–2, भोपाल, दिनांक 24/05/2018

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी, मध्य प्रदेश शासन, मंत्रालय, वल्लभ भवन।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मध्य प्रदेश शासन, मंत्रालय, वल्लभ भवन।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन।
4. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, महिला एवं वाल विकास, मंत्रालय वल्लभ भवन।
5. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन।
6. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, कृषि विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन।
7. समस्त संभागायुक्त, मध्य प्रदेश।
8. स्वास्थ्य आयुक्त, मध्य प्रदेश।
9. श्रम आयुक्त, मध्य प्रदेश।
10. मिशन संचालक, एन.एच.एम., मध्य प्रदेश।
11. सचिव, मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल।
12. सचिव, मध्यप्रदेश असंगठित शहरी/ग्रामीण कर्मकार कल्याण मण्डल।
13. संचालक, वित्त, एन.एच.एम. मध्य प्रदेश।
14. समस्त क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें, मध्य प्रदेश।
15. समस्त अधीक्षक, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, मध्य प्रदेश।
16. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक, मध्य प्रदेश।
17. समस्त जिला लेखा प्रबंधक, एन.एच.एम. मध्य प्रदेश।
18. समस्त एम.एण्ड.ई., मध्य प्रदेश।

सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग